

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन, झॉसी, ललितपुर, बोंदा, महोबा,
हमीरपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग -10

लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2007

विषय :- प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु जल निगम से प्राप्त प्रस्ताव की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्ष 2007-08 में सूखा प्रभावित उपर्युक्त जनपदों में दैवी आपदा राहत कार्य एवं तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य पेयजल योजना हेतु जल निगम को जनपदवार निम्नलिखित परियोजनाओं के लिये कुल धनराशि रु0 78,96,89,600/- (रूपये अठहत्तर करोड छियानवे लाख नवासी हजार छः सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपदवार सूखा से निपटने हेतु जल निगम के प्रस्ताव की स्थिति का विवरण
(रु0 लाख में)

वर्ष 2007-08 में सूखा से निपटने हेतु प्रस्तावित कार्य का विवरण पेयजल योजना							
जनपद- जालौन							
क्र. सं.	विवरण	ग्रामीण क्षेत्र		नागर क्षेत्र		योग	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिबोर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	438	128.65	60	54.70	498	183.35
2	हैण्डपम्प की मरम्मत एवं जी0आई0 पाइप (3 मी0) बदलना	200	12.00			200	12.00

3	गहरे इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	52	15.13			52	15.13
4	खराब हैण्डपम्पों की हाइड्रोफैक्चरिंग	0	0.00			0	0.00
5	ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु	150	550.00			150	550.00
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु	250	250.00			250	250.00
7	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	52	15.13			52	15.13
8	दुधारू एवं कृषि उपयोग में लाये जाने वाले नये डिजाइन के हैण्डपम्प प्लेटफार्म हेतु अतिरिक्त राशि रु0 3800/- की दर से	748	28.42	60	2.28	808	30.70
9	किराये पर टैंकर एवं ट्रैक्टर के साथ 90 दिन तक जनपद में पेयजल आपूर्ति	23	46.46			25	46.46
10	पशुओं हेतु चरही निर्माण सोक पिट हित	1000	40.00			1000	40.00
11	नागर क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु					0	0.00
12	नागर क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु					0	0.00
	योग	2915	1085.79	120	56.98	3035	1142.77

वर्ष 2007-08 में सूखा से निपटने हेतु प्रस्तावित कार्य का विवरण
पेयजल योजना

जनपद- झाँसी

क्र. सं.	विवरण	ग्रामीण क्षेत्र		नागर क्षेत्र		योग	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिबोर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	289	89.65	79	59.55	368	149.20
2	हैण्डपम्प की मरम्मत एवं जी0आई0 पाइप (3 मी0) बदलना	300	18.00	360	1.59	660	19.59
3	गहरे इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	48	15.65	96	31.29	144	46.94
4	खराब हैण्डपम्पों की	100	16.60			100	16.60

	हाइड्रोफैक्चरिंग						
5	ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु	100	350.00			100	350.00
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु	150	150.00			150	150.00
7	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	48	15.65			48	15.65
8	दुधारू एवं कृषि उपयोग में लाये जाने वाले नये डिजाइन के हैण्डपम्प प्लेटफार्म हेतु अतिरिक्त राशि रु0 3800/- की दर से	1376	52.29	175	6.65	1551	58.94
9	किराये पर ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के साथ 90 दिन तक जनपद में पेयजल आपूर्ति	60	111.51			60	111.51
10	पशुओं हेतु चरही निर्माण सोक पिट हित	1000	40.00			1000	40.00
11	नागर क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु					0	0.00
12	नागर क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु					0	0.00
	योग	3471	859.35	710	99.08	4181	958.43

वर्ष 2007-08 में सूखा से निपटने हेतु प्रस्तावित कार्य का विवरण
पेयजल योजना

जनपद- ललितपुर

क्र. सं.	विवरण	ग्रामीण क्षेत्र		नागर क्षेत्र		योग	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिबोर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	260	86.84	20	15.82	280	102.66
2	हैण्डपम्प की मरम्मत एवं जी0आई0 पाइप (3 मी0) बदलना	560	33.60			560	33.60
3	गहरे इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	32	11.90	50	18.60	82	30.50
4	खराब हैण्डपम्पों की हाइड्रोफैक्चरिंग	100	16.60			100	16.60
5	ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु	125	380.00			125	380.00
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु	50	140.00			50	140.00
7	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य	32	11.90			32	11.90

	केन्द्रों में इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन						
8	दुधारू एवं कृषि उपयोग में लाये जाने वाले नये डिजाइन के हैण्डपम्प प्लेटफार्म हेतु अतिरिक्त राशि रु0 3800/- की दर से	825	31.35	70	2.66	895	34.01
9	किराये पर टैंकर एवं ट्रैक्टर के साथ 90 दिन तक जनपद में पेयजल आपूर्ति	45	83.63			45	83.63
10	पशुओं हेतु चरही निर्माण सोक पिट हित	1000	40.00			1000	40.00
11	नागर क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु					0	0.00
12	नागर क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु					0	0.00
	योग	3029	835.82	140	37.08	3169	872.90

वर्ष 2007-08 में सूखा से निपटने हेतु प्रस्तावित कार्य का विवरण पेयजल योजना जनपद- बांदा							
क. सं.	विवरण	ग्रामीण क्षेत्र		नागर क्षेत्र		योग	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिबोर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	640	187.42			640	187.42
2	हैण्डपम्प की मरम्मत एवं जी0आई0 पाइप (3 मी0) बदलना	600	36.00			600	36.00
3	गहरे इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	55	15.62			55	15.62
4	खराब हैण्डपम्पों की हाइड्रोफैक्चरिंग	100	16.60			100	16.60
5	ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु	104	520.00			104	520.00
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु	33	33.00			33	33.00
7	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	55	15.62			55	15.62
8	दुधारू एवं कृषि उपयोग में लाये जाने वाले नये डिजाइन	1450	55.10			1450	55.10

	के हैंडपम्प प्लेटफार्म हेतु अतिरिक्त राशि रु0 3800/- की दर से						
9	किराये पर टैंकर एवं ट्रैक्टर के साथ 90 दिन तक जनपद में पेयजल आपूर्ति	55	102.22			55	102.22
10	पशुओं हेतु चरही निर्माण सोक पिट हित	1000	40.00			1000	40.00
11	नागर क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु						
12	नागर क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु						
	योग	4092	1021.58	0		4092	1021.58

**वर्ष 2007-08 में सूखा से निपटने हेतु प्रस्तावित कार्य का विवरण
पेयजल योजना**

जनपद- महोबा

क्र. सं.	विवरण	ग्रामीण क्षेत्र		नागर क्षेत्र		योग	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिबोर हैंडपम्प अधिष्ठापन	250	83.43			250	83.43
2	हैंडपम्प की मरम्मत एवं जी0आई0 पाइप (3 मी0) बदलना	300	18.00		1.49	300	19.49
3	गहरे इण्डिया मार्ग - II हैंडपम्पों का अधिष्ठापन	28	10.39	100	37.20	128	47.59
4	खराब हैंडपम्पों की हाइड्रोफैक्चरिंग	23	3.82			23	3.82
5	ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु	0	0.00			0	0.00
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु	0	0.00			0	0.00
7	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इण्डिया मार्ग - II हैंडपम्पों का अधिष्ठापन	28	10.39			28	10.39
8	दुधारू एवं कृषि उपयोग में लाये जाने वाले नये डिजाइन के हैंडपम्प प्लेटफार्म हेतु अतिरिक्त राशि रु0 3800/- की दर से	460	17.48	100	3.80	560	21.28

9	किराये पर ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के साथ 90 दिन तक जनपद में पेयजल आपूर्ति	73	135.67			73	135.67
10	पशुओं हेतु चरही निर्माण सोक पिट हित	1000	40.00			1000	40.00
11	नागर क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु					0	0.00
12	नागर क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु					0	0.00
	योग	2162	319.18	200	42.49	2362	361.67

**वर्ष 2007-08 में सूखा से निपटने हेतु प्रस्तावित कार्य का विवरण
पेयजल योजना**

जनपद- हमीरपुर

क. सं.	विवरण	ग्रामीण क्षेत्र		नागर क्षेत्र		योग	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिबोर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	693	196.93	98	81.64	791	278.57
2	हैण्डपम्प की मरम्मत एवं जी0आई0 पाइप (3 मी0) बदलना	170	10.20			170	10.20
3	गहरे इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	35	9.52			35	9.52
4	खराब हैण्डपम्पों की हाइड्रोफैक्चरिंग	50	8.30			50	8.30
5	ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु						
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु						
7	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	35	9.52			35	9.52
8	दुधारू एवं कृषि उपयोग में लाये जाने वाले नये डिजाइन के हैण्डपम्प प्लेटफार्म हेतु अतिरिक्त राशि रु0 3800/- की दर से	946	35.95	98	3.72	1044	39.67
9	किराये पर ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के साथ 90 दिन तक जनपद में पेयजल आपूर्ति	42	78.05			42	78.05
10	पशुओं हेतु चरही निर्माण सोक	1000	40.00			1000	40.00

	पिट हित						
11	नागर क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु					0	0.00
12	नागर क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु					0	0.00
	योग	2971	388.47	196	85.36	3167	473.83

वर्ष 2007-08 में सूखा से निपटने हेतु प्रस्तावित कार्य का विवरण
पेयजल योजना

जनपद- चित्रकूट

क्र. सं.	विवरण	ग्रामीण क्षेत्र		नागर क्षेत्र		योग	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिबोर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	110	42.02			110	42.02
2	हैण्डपम्प की मरम्मत एवं जी0आई0 पाइप (3 मी0) बदलना	500	30.00			500	30.00
3	गहरे इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	31	12.09			31	12.09
4	खराब हैण्डपम्पों की हाइड्रोफैक्चरिंग	100	16.60			100	16.60
5	ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु	98	662.00			98	662.00
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु	26	33.00			26	33.00
7	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	31	12.09			31	12.09
8	दुधारू एवं कृषि उपयोग में लाये जाने वाले नये डिजाइन के हैण्डपम्प प्लेटफार्म हेतु अतिरिक्त राशि रु0 3800/- की दर से	1064	40.43			1064	40.43
9	किराये पर टैंकर एवं ट्रैक्टर के साथ 90 दिन तक जनपद में पेयजल आपूर्ति	48	89.21			48	89.21
10	पशुओं हेतु चरही निर्माण सोक पिट हित	1000	40.00			1000	40.00
11	नागर क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु						
12	नागर क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं						

विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु							
योग	3008	977.44	0	0.00	3008	977.44	

वर्ष 2007-08 में सूखा से निपटने हेतु प्रस्तावित कार्य का विवरण पेयजल योजना जनपद- मिर्जापुर							
--	--	--	--	--	--	--	--

क्र. सं.	विवरण	ग्रामीण क्षेत्र		नागर क्षेत्र		योग	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिबोर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	1013	302.60	0	0.00	1013	302.60
2	हैण्डपम्प की मरम्मत एवं जी0आई0 पाइप (3 मी0) बदलना	2000	120.00			2000	120.00
3	गहरे इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	57	18.41			57	18.41
4	खराब हैण्डपम्पों की हाइड्रोफैक्चरिंग	50	8.30			50	8.30
5	ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु	37	148.00				
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु	17	52.00				
7	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	57	18.41			57	18.41
8	दुधारू एवं कृषि उपयोग में लाये जाने वाले नये डिजाइन के हैण्डपम्प प्लेटफार्म हेतु अतिरिक्त राशि रु0 3800/- की दर से	1777	67.53			1777	67.53
9	किराये पर ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के साथ 90 दिन तक जनपद में पेयजल आपूर्ति	60	111.51			60	111.51
10	पशुओं हेतु चरही निर्माण सोक पिट हित	1000	40.00			1000	40.00
11	नागर क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु					0	0.00
12	नागर क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु			12	30.00	12	30.00
	योग	6068	886.76	12	30	6080	916.76

वर्ष 2007-08 में सूखा से निपटने हेतु प्रस्तावित कार्य का विवरण पेयजल योजना							
जनपद- सोनभद्र							
क्र. सं.	विवरण	ग्रामीण क्षेत्र		नागर क्षेत्र		योग	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिबोर हैण्डपम्प अधिष्ठापन	571	228.00	48	40.11	619	268.11
2	हैण्डपम्प की मरम्मत एवं जी0आई0 पाइप (3 मी0) बदलना	440	15.73	2118	2.68	2558	18.41
3	गहरे इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	288	195.17			288	195.17
4	खराब हैण्डपम्पों की हाइड्रोफैक्चरिंग	200	27.69			200	27.69
5	ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु	59	281.00			59	281.00
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु	16	39.00			16	39.00
7	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इण्डिया मार्ग - II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	38	16.42			38	16.42
8	दुधारू एवं कृषि उपयोग में लाये जाने वाले नये डिजाइन के हैण्डपम्प प्लेटफार्म हेतु अतिरिक्त राशि रु0 3800/- की दर से	2238	85.04	48	1.82	2286	86.86
9	किराये पर ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के साथ 90 दिन तक जनपद में पेयजल आपूर्ति	100	185.85			100	185.85
10	पशुओं हेतु चरही निर्माण सोक पिट हित	1000	40.00			1000	40.00
11	नागर क्षेत्र में पाइप लाइनों की मरम्मत एवं जीर्णोधार हेतु	10	13.00			10	13.00
12	नागर क्षेत्रों में पुराने पम्पों एवं विद्युत उपकरणों को बदलने हेतु					0	0.00
	योग	4960	1126.90	2214	44.61	7174	1171.51

उपरोक्त कालमों का महायोग -रु0 78,96,89,600/-
(रुपये अठहत्तर करोड छियानवे लाख नवासी हजार छः सौ मात्र)

2. उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रु0 78,96,89,600/- (रूपये अठहत्तर करोड छियानवे लाख नवासी हजार छः सौ मात्र) की 30 प्रतिशत धनराशि सुगमांक करते हुए रु0 24,00,00,000/- (रूपये चौबीस करोड मात्र) अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्तानुसार 30 प्रतिशत स्वीकृत धनराशि के दो तिहाई भाग का उपयोग होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3. यह धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा टी0आर0-27 से विभाग की माँग पर आहरित की जायेगी, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा कोषागार नियम 27 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाय और यह तभी किया जाय जब पूर्व में स्वीकृत धनराशि के समक्ष पूरी-पूरी धनराशि का उपयोग हो जाय और इस धनराशि का कोई भी अंश अप्रयुक्त न रहे। कोषागार नियम 27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजन के लिये सम्बन्धी जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजते समय उक्त आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाय।

4. उक्त परियोजनाओं के स्वीकृत प्रस्तावों की धनराशि वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्व में आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि से व्यय किया जाय। अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्यविशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई है।

5. जिलाधिकारी टी0आर0 -27 से आहरित की गई धनराशि का समुचित प्रस्ताव शासन को भेजते हुए समायोजन की कार्यवाही वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. उपर्युक्त परियोजनाओं पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय -03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश सं0-जी0आई0-134-1-11-2007-46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

8. व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

9. जल निगम द्वारा प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में अलग-अलग विवरण साप्ताहिक रूप से समेकित करके शासन को भेजेंगे तथा उसकी एक प्रति प्रशासनिक विभाग को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अशासक सं-ई-5-2007(45)/45-2007 दिनांक 26-12-2007 में प्राप्त उनकी
10. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)

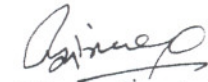
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या - 5450(1)/1-10-2007-12(73)/07 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा0 राजस्व मंत्री के निजी सचिव।
2. स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं ग्राम्य विकास विभाग।
6. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. मण्डलायुक्त झॉंसी, चित्रकूटधाम, मिर्जापुर-विन्ध्यांचल।
9. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
11. कोषाधिकारी जालौन, झॉंसी, ललितपुर, बॉदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5।
13. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियां)/राजस्व अनुभाग -6/राजस्व अनुभाग -11।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,



(ओम प्रकाश)

उप सचिव